रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223878
CG-DL-E-23122020-223878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4108] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
No. 4108] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSA 1, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4671(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अत: एतद्द्वारा एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 कहा जाए।

(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 (इसके बाद इसे उक्त आदेश कहा गया है) में पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ (2) में "01.06.2020" अंकों को निम्नलिखित "01.01.2022" अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त आदेश में, तालिका में, कॉलम (1) में टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल डिवाइस से संबंधित प्रविष्टियों तथा कॉलम (2) और कॉलम (3) में इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.पी-29014/63/2017-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: प्रमुख आदेश सां.आ. 4354(अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुआ था तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या सां.आ. 1518(अ), दिनांक 18 मई, 2020 के जरिए संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4671(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement**.– (1) This Order may be called Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Second Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, (hereinafter referred to as said order) in Paragraph 1, in sub-Paragraph (2), for the figures "01.06.2020", the following figures "01.01.2022" shall be substituted.

3. In the said order, in the TABLE, in column (1), the entry relating to Temperature sensing control devices and entries relating thereto in column (2) and Column (3) shall be omitted.

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 4354(E), dated the 5th December, 2019 and last amended vide notification number S.O. 1518(E), dated the 18th May, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.23 12:45:58 +05'30'